103

COURT FEE INDIA दस रुपये TEN RUPEES

COURT FEE INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

C.F. Rs 15/-

R-1085-III/2002

श्री ... द्वारा आज दि० 4/5/2002 को प्रस्तुत।
रीडर सचिव
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर
4 MAY 2002

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश, ग्वालियर

प्र0क्र0 /2002 पुनरीक्षण

मंगलेश्वर सिंह तनय सूर्यबली सिंह
निवासी ग्राम बरोहा तहसील त्योंथर
जिला रीवा ------- आवेदक

विरुद्ध

1- बदामा पत्नी जयनारायणसिंह पुत्री रामसिंह
निवासी ग्राम मंदरी तहसील तयोंथर जिला
रीवा (मृत) उत्तराधिकारीगण (अ) हरप्रसाद सिंह
पुत्रगण जयनारायण सिंह (ब) जुगलबिहारी

2- फुन्दुआ पत्नी सूर्यभानसिंह पुत्री रामसिंह (मृत)
व्दारा उत्तराधिकारीगण -

2(अ) किशोरीलाल तनय सूर्यभानसिंह
निवासी ग्राम मांदरी तहसील त्योंथर
जिला रीवा

2(ब) कैमलावती सिंह पुत्री सूर्यभानसिंह पत्नी
तालुकराजसिंह निवासी ग्राम कोहट
जिला इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश)

3- कुद्दू पत्नी शिवबली सिंह (मृत)
व्दारा उत्तराधिकारीगण -

3(अ) बंशबहादुर सिंह तनय शिवबली सिंह

3(ब) नारायणसिंह तनय शिवबली सिंह

3(स) समुदरा पुत्री शिवबली सिंह
निवासीगण ग्राम ऊँटवा तहसील त्योंथर
जिला रीवा

4- सूर्यबली सिंह तनय केमोदसिंह

5- पंजाबसिंह पिता छोटकूसिंह

6- गुलाबसिंह पिता कृपालसिंह

7- कल्याणसिंह पिता सकुनसिंह

--- 2

3-5-2002

8- भीमसिंह पिता सकुनसिंह

9- किशोरीलालसिंह पिता सूर्यभानसिंह

10- काशीनरेशसिंह
11- राजेन्द्र बहादुर सिंह
12- इन्द्रबहादुर सिंह
13- समर बहादुर सिंह
14- भूपेन्द्रसिंह
} पुत्रगण पदुमनाथसिंह

15 मु0 पदुमसिंह

16 विटोलिया
17- सुनीता
18 गोंढी
} पिता पदुमनाथसिंह

निवासीगण ग्राम बरौहा तहसील त्योंथर जिला रीवा --------- अनावेदकगण

अपर आयुक्त रीवा संभाग व्दारा प्र0क्र0 479।95-96 पुनरीक्षण में पारित आदेश दिनांक 11-2-2002 के पुनरीक्षण हेतु आवेदन अन्तर्गत धारा-50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959.

महोदय,

आवेदक निम्नलिखित आधारों पर पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत करता है :-

(1) यह कि अपर आयुक्त महोदय का संलग्न विवादित आदेश अवैध, अनियमित तथा मनमाना होकर निरस्त किये जाने योग्य है ।

(2) यह कि अपर आयुक्त ने उनके समक्ष लम्बित पुनरीक्षण आवेदन को उपशमित मानकर निरस्त करने में गंभीर वैधानिक भूल की है । व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश-22 के प्रावधान पुनरीक्षण की कार्यवाही में लागू नहीं होते हैं । अपर आयुक्त को मृत अनावेदकों के उत्तराधिकारियों को अभिलेख पर लेकर प्रकरण का गुणदोषों पर निराकरण करना चाहिये था ।

--- 3

...प्त करने की मंशा से विवादित आवेदक की कोई त्रुटि ... स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है ।

म0प्र0

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक 1085–दो/2002 निगरानी जिला रीवा

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
14-09-2017	यह निगरानी आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 479/ 1995–96 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 11–2–2002 के विरूद्व म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक एंव अनावेदकगण के बीच आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष निगरानी प्रकरण कमांक. 479/ 1995–96 प्रचलित था, जिसमें कुल 18 अनावेदक थे। आयुक्त व्दारा आदेश दिांक 11–2–20 में विवेचित अनुसार अनावेदक काशी नरेश सिंह ने 29–9–96 को भेजा गया नोटिस लेने इंकार कर दिया था। अनावेदक क–3 समरबहादुर सिंह का आवेदक ने सही पता नहीं दिया था जिससे नोटिस तामील नहीं हो पा रही था। अनावेदक भूपेन्द्र सिंह ने 23–2–06 का नोटिस लेने इंकार कर दिया था। अनावेदक 16, 17, 18 का आवेदक ने सही पता नहीं दिया था जिसके कारण नोटिस तामील नहीं हो पा रहे थे। अनावेदक राजेन्द्र बहादुर सिंह एंव इन्द्र बहादुर सिंह ने दिनांक 20–9–2000 का नोटिस लेने इंकार कर दिया था। अनावेदक कमांक 7 व 5 नोटिस तामील होने के वाद उपस्थित नहीं हुये थे। अनावेदक 2 फुटुआ मर चुका था। अनावेदक सूर्यवली सिंह नोटिस तामील के वाद उपस्थित नहीं हुआ था। कुल 18 अनावेदकगण में से अनावेदक कमांक 1, 6, 8, 9, 15, 16, 17, 18 शेष बचे थे। अनावेदक छिददू की मृत्यु का प्रमाण नहीं दिया था तथा असमय वारिसान को रिकार्ड पर लेने का आवेदन था। अनावेदक	

क्रमांक–2 फुटुआ 27–4–2000 को मरा , जिसके वारिसान को रिकार्ड पर लेने का आवेदन अत्याधिक विलम्ब से 20–9–2000 को दिया गया। फलतः मृतकों के बारसान को सही समय पर रिकार्ड पर न लाये जाने के कारण एंव कई पक्षकारों व्दारा नोटिस लेकर अनुपस्थित रहने के कारण – पक्षकारों के असंयोजन का दोष उत्पन्न होने से अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्र.क. 479/ 1995–96 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 11–2–2002 से विस्तृत विवेचना करने के उपरांत निगरानी निरस्त की है क्योंकि आवेदक व्दारा सही समय पर उक्तानुसार दोषों का निवारण नहीं किया है एंव लापरवाही वरतना परिलक्षित है, जिसके कारण अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के आदेश दिनांक 11–2–2002 में विसंगति नहीं है।

3/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त करते हुये अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्र.क. 479/ 1995–96 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 11–2–2002 को यथावत् रखा जाता है।

सदस्य